न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

Email : sdmgirwa@rajasthan.gov.in
Ph No. 0294-2413454

क्रमांक : राजस्व ए/केम्प/2025/3881 दिनांक : 26.12.2025

प्र. सं. 220/2025 निर्णय दिनांक 26.12.2025

दायर दिनांक 24.12.2025

–: आदेश :–

सेवा पर्व पखवाड़े के अन्तर्गत आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में प्रार्थी लखमा पिता वेलिया उर्फ वेला भील निवासी पई द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के पिता वेलिया उर्फ वेला पिता काउवा पिता मोती के खातेदारी आराजीयात 716 से 721, 723 से 730, 732, 1001, 1002, 1049, 1103, 1112, 1118 से 1122, 1109/6696, 1047 किता 27 का गलत इन्द्राज कर तत्कालिन पटवारी द्वारा वेला पिता दल्ला के नाम कर दिये जाने से वेला पिता दल्ला के पुत्र भेरा की संतान छोटू, प्रभु एवं बेवा कालकी के नाम गलत इन्द्राज कर दिया गया है। जिसे वेलिया उर्फ वेला पिता काउवा के वारिस लखमा, सवजी, हकरा, होमली व जुमली के नाम पुनः दर्ज किए जाने का अनुतोष चाहा गया है।

प्रकरण में तहसीलदार बारापाल द्वारा पत्रांक भू.अ./ग्रा.से.शि./2025/783 दिनांक 04.11.2025 से प्रस्तुत कर अंकित किया कि :–

1. पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार पटवार मण्डल पई के राजस्व ग्राम पई की वर्तमान जमाबंदी संवत 2074–2077 में खाता संख्या 110 आराजी नम्बर 716 से 721, 723 से 730, 732, 1001, 1049, 1103, 1112, 1118 से 1122, 7486/1109, 7595/1002 किता 26 कुल रकबा 2.0781 हैक्टेयर खातेदार छोटू पुत्र भेरा मु. कालकी पत्नी भेरा हि.ब. दर्ज है एवं खाता संख्या 109 आराजी नम्बर 1047 कुल किता 01 कुल रकबा 0.9000 हैक्टेयर भूमि छोटू पुत्र भेरा मु. कालकी पत्नी भेरा हिस्सा 1/2 वगैरह दर्ज रिकॉर्ड है।
2. यह की जमाबंदी संवत 2048–2051 के खाता संख्या 217 खसरा संख्या 716 से 721, 723 से 730, 732, 1001, 1002, 1049, 1103, 1106 से 1108, 1110 से 1114, 1118 से 1122, 1109/6696 कुल किता 33 कुल रकबा 2.8850 हैक्टेयर भूमि वेलिया पिता काउवा भील सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है तथा खाता संख्या 218 खसरा संख्या 1047 रकबा 0.9000 हैक्टेयर भूमि वेला पिता काउवा हिस्सा 1/2 वगैरह के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी जिसमें नामान्तरण संख्या 85 दिनांक 26.05.93 से विरासत का नामान्तरण दर्ज किया गया जिसका नोट उक्त जमाबंदी में लगाया गया जो कि एक समान नाम के दो व्यक्ति वेला उर्फ वेलिया पिता काउवा एवं वेला पिता दल्ला होने से वेला पिता दल्ला के स्थान पर वेला उर्फ वेलिया पिता काउवा सहवन से गलत विरासत का नामान्तरण दर्ज हो गया जबकि सन 1993 में वेला उर्फ वेलिया पिता काउवा जीवित था।
3. तत्पश्चात उक्त नामान्तरण अनुसार जमाबंदी संवत 2052–55 में उक्त खसरों में वेला पिता दल्ला के वारिस छोटू पुत्र भेरा मु. कालकी पत्नी भेरा के नाम से भूमि दर्ज हुई जो संवत 2055 से लेकर आदिनांक तक छोटू पुत्र भेरा मु. कालकी पत्नी भेरा के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है।
4. पटवारी रिपोर्ट अनुसार वेला उर्फ वेलिया पिता काउवा की मृत्यु दिनांक 30.10.2001 को हुई जिनके वारिस लखमा, सवजी, हकरा, होमली, जुमली पिता वेला उर्फ वेलिया है जबकि वेला पिता दल्ला के वारिस छोटू पुत्र भेरा मु. कालकी पत्नी भेरा है।

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर (राज.)

प्रार्थी द्वारा पूर्व में सन 2001 में कैम्प के दौरान वाद संख्या 336/2001 माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा राजस्व ग्राम पई के खसरा संख्या 1106, 1107, 1108, 1110, 1111, 1113 व 1114 कुल किता 07 कुल रकबा 0.7600 हैक्टेयर में संशोधन कर छोटू पुत्र भेरा मु. कालकी पत्नी भेरा के स्थान पर लखमा, सवजी, हकरा पिता वेला राजूडी बेवा वेला भील सा. देह के नाम दर्ज किया गया। जो कि नामान्तरण संख्या 152 से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया गया।

अतः पटवारी रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज अनुसार पटवार मण्डल पई के राजस्व ग्राम पई की वर्तमान जमाबंदी संवत 2074–2077 में खाता संख्या 110 आराजी नम्बर 716 से 721, 723 से 730, 732, 1001, 1049, 1103, 1112, 1118 से 1122, 7486/1109, 7595/1002 कुल किता 26 कुल रकबा 2.0781 हैक्टेयर खातेदार छोटू प्रभु पुत्र भेरा मु. कालकी पत्नी भेरा के स्थान पर लक्ष्मा, सब्जी, हकरा, होमली, जुमली पिता वेला उर्फ वेलिया हि.ब. खातेदार एवं खाता संख्या 109 आराजी नम्बर 1047 कुल किता 01 कुल रकबा 0.9000 हैक्टेयर भूमि छोटू प्रभु पुत्र भेरा मु. कालकी पत्नी भेरा हिस्सा 1/2 के स्थान पर लखमा, सवजी, हकरा, होमली, जुमली पिता वेला उर्फ वेलिया हिस्सा 1/2 दर्ज करने की अनुशंसा की जाती है।

हमारे द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार बारापाल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन कर अध्ययन किया गया। राजस्व ग्राम पई के राजस्व रिकार्ड नामान्तकरण संख्या 85 में तहसीलदार गिर्वा द्वारा खाता संख्या 217 किता 33 रकबा 2.8850 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 218 आराजी संख्या 1047 रकबा 0.9000 हैक्टेयर भूमि में वेलिया व उसके पुत्र भेरा फौतगी एक वर्ष पूर्व होने का अंकन छोटू, प्रभु पिता भेरा व मु. कालकी बेवा भेरा भील सा. देह के नाम ग्राम विकास शिविर 93 केम्प अलसीगढ़ में दिनांक 26.05.1993 को पारित हुआ। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार उक्त खाता वेला उर्फ वेलिया पिता काउवा के बजाय वेला पिता दल्ला के वारिसानों छोटू, प्रभु, पुत्र भेरा व मु. कालकी पत्नी भेरा के नाम पर दर्ज हो गया है। जबकि वेला उर्फ वेलिया की मृत्यु दिनांक 30.10.2001 को हुई है। वेला उर्फ वेलिया के वारिसान लखमा, सवजी, हकरा, होमली, जुमली पिता वेला उर्फ वेलिया है। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार आराजी संख्या 1106, 1107, 1108, 1110, 1111, 1113 व 1114 किता 7 रकबा 0.7600 हैक्टेयर के सम्बध में प्रशासन गांवो के संग अभियान में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा प्रकरण संख्या 336/2001 वाद निर्णय दिनांक 29.10.2001 के द्वारा छोटू, प्रभू पिता भेरा व कालकी बेवा भेरा के बजाय लखमा सवजी, हकरा पिता वेला राजूड़ी बेवा वेला के नाम नामान्तकरण संख्या 152 दर्ज किया गया था। राजस्व ग्राम पई की आराजी संख्या 716 से 721, 723 से 730, 732, 1001, 1049, 1103, 1112, 1118 से 1122, 7486/1109, 7595/1002 कुल किता 26 कुल रकबा 2.0781 हैक्टेयर सम्पूर्ण तथा आराजी संख्या 1047 रकबा 0.9000 हैक्टेयर में छोटू, प्रभू पिता भेरा व कालकी बेवा भेरा के नाम दर्ज 1/2 हिस्से के बजाय वेला उर्फ वेलिया पिता काउवा के वारिसान लखमा सवजी हकरा, होमली, जुमली पिता वेला उर्फ वेलिया के नाम दर्ज करने की अनुशंषा की गई है। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से भी उक्त भूमि प्रार्थीगण के पिता वेला उर्फ वेलिया पिता काउवा के नाम दर्ज थी जबकि उसके जीवनकाल में ही वेला पिता दल्ला के वारिसानों के नाम दर्ज करने से पुनः वेला उर्फ वेलिया पिता काउवा के वारिसानों के नाम धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत दर्ज किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा उदयपुर (राज.)

अतः तहसीलदार बारापाल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी लखमा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम पई की वर्तमान जमाबंदी संवत 2074–2077 में खाता संख्या 110 आराजी नम्बर 716 से 721, 723 से 730, 732, 1001, 1049, 1103, 1112, 1118 से 1122, 7486/1109, 7595/1002 कुल किता 26 कुल रकबा 2.0781 हैक्टेयर खातेदार छोटू प्रथु पुत्र भेरा मु. कालकी पत्नी भेरा के स्थान पर लखमा, सवजी, हकरा, होमली, जुमली पिता वेला उर्फ वेलिया हि.ब. खातेदार एवं खाता संख्या 109 आराजी नम्बर 1047 कुल किता 01 कुल रकबा 0.9000 हैक्टेयर भूमि छोटू प्रथु पुत्र भेरा मु. कालकी पत्नी भेरा हिस्सा 1/2 के स्थान पर लखमा, सवजी, हकरा, होमली, जुमली पिता वेला उर्फ वेलिया हिस्सा 1/2 दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार बारापाल तद्अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें।

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा उदयपुर
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर (राज.)

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार बारापाल, को भेजकर लेख है कि वह उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद कराने की कार्यवाही करावें।

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा उदयपुर
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर (राज.)